संख्या– /VI-4/2025–61(03)25–E–12059

प्रेषक,

अमित कुमार सिन्हा,
विशेष प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग देहरादून : दिनांक दिसम्बर, 2025

विषय :– खेल महाकुम्भ के आयोजन हेतु सामान्य दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1422/यु0क0–खे0महा0–4268/2025–26 दिनांक 08.10.2025 एवं पत्र संख्या–1919/खे0महा0–4268/2025–26 दिनांक 26.11.2025 के द्वारा खेल महाकुम्भ–2025 के आयोजन हेतु प्रेषित प्रस्ताव में प्रस्तावित आयोजन के दिशा–निर्देशों/कार्ययोजना, आयुवर्ग, खेल विधाओं, आयोजन समितियों के गठन तथा उनके दायित्व, तकनीकी समिति का गठन तथा उनके दायित्व, राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति पर सम्यकविचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता **''खेल महाकुम्भ''** का आयोजन राज्य में खेलों का वातावरण–माहौल सृजित करने, युवाओं–दिव्यांगजनों का खेलों के प्रति आकर्षण पैदा करने, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चिन्हित करने, युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर कर नशामुक्त उत्तराखण्ड बनाने के साथ–साथ फिट इंडिया मूवमेन्ट से जोड़कर सभी आयुवर्ग के लोगों का शारीरिक संवर्धन किया जायेगा। प्रतियोगिता के माध्यम से फिट इण्डिया मूवमेंट कार्यक्रम को ग्राम पंचायत स्तर तक क्रियान्वित किया जाएगा।

खेल महाकुम्भ लोगो एवं मस्कट –

लोगो

खेल महाकुम्भ उत्तराखंड 2025

शुभांकर

ध्रुव(Musk Deer)

राज्य के युवाओं को **इलैक्ट्रॉनिक संस्कृति से प्ले ग्राउण्ड संस्कृति** की ओर आकर्षित करने, अधिक से अधिक युवाओं को खेल महाकुम्भ में प्रतिभाग कराने का लक्ष्य है। खिलाड़ियों को स्पोर्टस कालेज–खेल छात्रावासों में प्रवेश, सेना, अर्द्धसैनिक बल, पुलिस आदि में भर्ती के दौरान लाभ दिलाये जाने का उद्देश्य है। **खेलकूद प्रतियोगिताओं में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता बढाने के उद्देश्य से न्याय पंचायत स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि खेल प्रतियोगिता, विधानसभा**

स्तर पर विधायक चैम्पियनशिप ट्रॉफी, संसदीय क्षेत्र स्तर पर सांसद चैम्पियनशिप ट्राफी एवं राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्राफी का आयोजन किया जाना है।

सहभागिता

न्याय पंचायत से राज्य स्तर तक की प्रतियोगिता में राज्य के स्थायी निवासी खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, संकुल के प्रधानाचार्य, नगर पंचायत–नगर पालिका–नगर निगम के सक्षम अधिकारी द्वारा खिलाड़ी के सम्बन्ध में निर्गत अध्ययनरत–निवासरत प्रमाण–पत्र के आधार पर युवा प्रतिभाग कर सकते हैं। 1. ग्राम पंचायत के बालक–बालिका 2. नगर निकायों के बालक–बालिका, 3. वार्डों के बालक–बालिका, 4. निजी शिक्षण संस्थानों के छात्र–छात्रायें, 5. राजकीय शिक्षण संस्थान के छात्र–छात्रायें, 6. आई.सी.एस.ई./सीबीएसई/उत्तराखण्ड बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों के छात्र–छात्रायें, 7. केन्द्रीय विद्यालय संगठन के छात्र–छात्रायें, 8. जवाहर एवं राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के छात्र–छात्रायें, 9. सरस्वती शिशु/विद्या मन्दिर के छात्र–छात्रायें, 10. समाज कल्याण/जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों के छात्र–छात्रायें, 11. आश्रम पद्धति विद्यालयों के छात्र–छात्रायें, 12. विभिन्न छात्रावासों के छात्र–छात्रायें, 13. सैनिक स्कूल के छात्र–छात्रायें, 14. निजी कोचिंग/ट्यूशन सेन्टरों में अध्ययनरत छात्र–छात्रायें, 15. खेल संघ/खेल अकादमी के खिलाड़ी, 16. खेल विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों के खिलाड़ी तथा 17. शासकीय/निजी आई.टी.आई. एवं पॉलीटेक्निक के छात्र–छात्रायें, 18. शासकीय–निजी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के छात्र–छात्रायें।

प्रचार–प्रसार

खेलकूद प्रतियोगिताओं के प्रचार–प्रसार हेतु सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग से सहयोग प्राप्त कर प्रिन्ट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, विभागीय सोशल मीडिया पेज, एफएम रेडियो आदि के माध्यम से किया जायेगा। न्याय पंचायत, विधानसभा क्षेत्र एवं संसदीय क्षेत्र स्तर की प्रतियोगिता हेतु ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में रैलियां, विद्यालयों की प्रार्थना सभाओं में खेल महाकुम्भ के आयोजन की जानकारी, विकासखण्ड, नगर पालिका–नगर निगम, तहसील, जनपद विकास भवन एवं कलक्ट्रेट, पोस्ट आफिस, बैंक आदि कार्यालयों में पोस्टर–बैनर एवं विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित ई–स्क्रीन के माध्यम से भी प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

पंजीकरण

खिलाड़ियों की प्रतिभागिता हेतु शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा निदेशालय द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के पश्चात् ऑनलाइन पंजीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। पंजीकरण हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश प्रस्तावित किये गये हैं –

आयु सीमा

01	अंडर–14 (11–14)	प्रतिभागी की आयु दिनांक 31.07.2025 को 10 वर्ष पूर्ण तथा 14 वर्ष से कम होनी अनिवार्य है।
02	अंडर–19 (15–19)	प्रतिभागी की आयु दिनांक 31.07.2025 को 14 वर्ष पूर्ण तथा 19 वर्ष से कम होनी अनिवार्य है।
03	दिव्यांगजन (ओपन)	**1.** ब्लाइण्ड (**टी–11**: पूर्णदृष्टिहीन हेतु एवं **टी–13–** (03 से 06 मीटर की दृष्टिबाधिता हेतु) **2.** मूक बाधिर **3.** आर्थो (लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, व्हील चेयर, स्पाइनल)

- पंजीकरण करने वाले खिलाड़ी उपरोक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम् आयुगणना के अनुसार ही अपना पंजीकरण करायेंगे। एक खिलाड़ी एक ही खेलविधा एवं एक ही आयुवर्ग में प्रतिभाग कर सकता है।
- न्याय पंचायत स्तर पर प्रतियोगिता के आयोजन हेतु राज्य सेक्टर से आवंटित धनराशि जिला युवा कल्याण एवं प्रारद अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी तथा सम्बन्धित जिला युवा कल्याण एवं प्रारद अधिकारी जिलाधिकारी के माध्यम से खण्ड शिक्षाधिकारियों को आवंटित करेंगे। खण्ड शिक्षाधिकारी प्रतियोगिता आयोजन से पूर्व सम्बन्धित प्रधानाचार्य को धनराशि उपलब्ध करायेंगे। सम्बन्धित प्रधानाचार्य– व्यायाम प्रशिक्षक युवा कल्याण– क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी, युवा कल्याण प्रतियोगिता समापन के अवसर पर नकद पुरस्कार वितरण जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्पन्न कराना सुनिश्चित करते हुए समायोजन एवं प्रतिभाग करने वाले खेल विधावार खिलाड़ियों की संख्या–सूची, प्रतियोगिताओं के परिणाम, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की सूची, उपयोगिता प्रमाण–पत्र, व्यय विवरण, प्रतियोगिताओं की फोटो, समाचार पत्रों की कटिंग आदि आयोजक से प्राप्त कर क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी–व्यायाम प्रशिक्षक युवा कल्याण द्वारा जिला युवा कल्याण एवं प्रारद अधिकारी को 03 दिन के भीतर उपलब्ध करा दी जायेगी।
- न्याय पंचायत स्तर पर मार्ग व्यय अनुमन्य नहीं है। विधानसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र एवं राज्य स्तर पर मार्ग व्यय उत्तराखण्ड परिवहन विभाग द्वारा अनुमन्य पर्वतीय एवं मैदानी मार्गों हेतु निर्धारित दरों के अनुसार देय होगा। विधायक चैम्पियनशिप ट्रॉफी व सांसद चैम्पियनशिप ट्रॉफी में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों हेतु मार्ग व्यय की व्यवस्था सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत खेलकूद प्रतियेागिता आयोजन मद में प्राविधानित धनराशि से किया जाएगा।
- नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम क्षेत्र के खिलाड़ी अपने क्षेत्र के निकटतम् न्याय पंचायत स्तर पर प्रतिभाग करेंगे तथा विधानसभा स्तर, संसदीय क्षेत्र स्तर पर सीधे आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु अपने क्षेत्र के निकटतम् विधानसभा/संसदीय क्षेत्र में प्रतिभाग करेंगे।
- सभी स्तरों की प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागी को अपना आयु प्रमाण पत्र जिस पर प्रतिभागी का फोटो अनिवार्य रूप से चस्पा किया गया हो यथा–स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र/आई डी कार्ड, नगर–निगम अथवा अस्पताल द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, हाईस्कूल की अंकतालिका, ग्राम्य पंचायत विकास अधिकारी द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की स्पष्ट छायाप्रति, आधारकार्ड, स्थाई निवास प्रमाण पत्र अन्य आदि पंजीकरण प्रपत्र के साथ अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।

1. स्थानीय जनप्रतिनिधि खेलकूद प्रतियोगिता– न्याय पंचायत स्तर

न्याय पंचायत के अन्तर्गत आने वाले समस्त ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, महिला संगठिका, पीआरडी हल्का सरदार, ब्लाक कमाण्डर, सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाईस्कूल, माध्यमिक विद्यालय, राजकीय इण्टर कॉलेज बालक बालिका में तैनात व्यायाम शिक्षक/प्रधानाचार्य के साथ–साथ निजी शिक्षण संस्थानों के व्यायाम शिक्षक/प्रधानाध्यापक, नगर पंचायत–अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, नगर पालिका–अधिशासी अधिकारी नगर पालिका,

विकासखण्ड–खण्ड विकास अधिकारी/क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी, तहसील–उप जिलाधिकारी, नगर निगम–मुख्य नगर अधिकारी, जनपद मुख्यालय–मुख्य विकास अधिकारी/जिला क्रीड़ाधिकारी/जिला युवा कल्याण अधिकारी स्थित कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकरण का कार्य सम्पन्न किया जायेगा। पंजीकरण पूर्ण कराने के उपरान्त न्याय पंचायत आयोजन समिति को प्रतियोगिता प्रारम्भ होने से पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा। पंजीकरण होने के उपरान्त सम्बन्धित विकासखण्ड के व्यायाम प्रशिक्षकों/क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रारद अधिकारियों द्वारा आयोजन सम्बन्धी समस्त व्यवस्थाऐं सुनिश्चित की जायेंगी। खिलाड़ियों का ऑनलाईन पंजीकरण किया जायेगा। खेल महाकुम्भ का उद्घाटन कार्यक्रम न्याय पंचायत स्तर पर वृहद रूप से किया जायेगा।

स्थानीय जनप्रतिनिधि खेलकूद प्रतियोगिता –न्याय पंचायत स्तर आयोजन समिति

1	सम्बन्धित न्याय पंचायत के क्षेत्र प्रमुख	संरक्षक
2	न्याय पंचायत के अन्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधान एवं	सह–संरक्षक
2	सम्बन्धित न्याय पंचायत के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी	सदस्य
3	अधिशासी अधिकारी, सम्बन्धित न्याय पंचायत के साथ लगी हुई नगर पंचायत	सदस्य
4	सम्बन्धित न्याय पंचायत अथवा उसके निकटस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
5	खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित वरिष्ठतम् प्रधानाचार्य (राजकीय इण्टर कॉलेज)	आयोजक
6	सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रतियोगिता आयोजन होने वाली न्याय पंचायत के सम्बन्धित विकासखण्ड के क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी एवं व्यायाम प्रशिक्षक युवा कल्याण	सह–आयोजक

समिति के कार्य एवं दायित्व

1– खेल महाकुम्भ में प्रतिभाग करने हेतु खिलाड़ियों के ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था कराना।

2– आयोजन स्थल का निर्धारण। (प्रतियोगिताओं का आयोजन यथासम्भव न्याय पंचायत के अन्तर्गत आने वाले राजकीय इण्टर कालेज अथवा युवा कल्याण एवं खेल विभाग के स्टेडियम–खेल मैदान, खेल प्रांगण में किया जाए।)

3– प्रतियोगिता का आयोजन कम से कम 02 से 03 दिनों तक किया जाएगा।

4– आयोजन हेतु शिक्षा, पुलिस, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा निःशुल्क निर्णायकों की व्यवस्था की जायेगी, जिस हेतु विभागीय व्यायाम प्रशिक्षक द्वारा सभी विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए आयोजन स्थल पर निर्णायकों की व्यवस्था करेंगे।

5– प्रतियोगिता से सम्बन्धित उपकरणों की व्यवस्था शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा।

6– प्रतियोगिता स्थल पर फर्स्ट एड, पेयजल की व्यवस्था क्रमशः स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा।

7– प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार, मेडल एवं प्रमाण पत्र प्रतियोगिता समापन पर ही मुख्य अतिथि के सम्मुख दिया जायेगा।

8– स्थानीय जनप्रतिनिधि खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु राज्य सैक्टर के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी धनराशि कम होने की दशा में जिलाधिकारी बजट की व्यवस्था जिला योजना अथवा जनपद के अन्तर्गत अन्य स्त्रोतों (स्थानीय उद्योग जगत, सी.एस.आर.) के अन्तर्गत सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।

9– उद्घाटन एवं समापन, पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम स्थानीय जनप्रतिनिधियों/राष्ट्रीय– अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी/उच्च अधिकारी/ उद्योगपति– व्यवसायी आदि की उपस्थिति में सम्पन्न किया जायेगा, जिसका विवरण जिला युवा कल्याण अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

10– फलैक्स, बैनर, ट्रैक एवं फील्ड व्यवस्था, माईक, कुर्सी मेज, फोटोग्राफी, स्टेशनरी आदि की व्यवस्था।

11– प्रत्येक खेल विधा में परिणाम–प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं टीम खेल में विनर, रनर एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों/टीमों का निर्धारण निर्णायकों द्वारा किया जायेगा।

12– प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों की संख्या पुरूष–महिला पृथक पृथक, आयोजित प्रतियोगिताओं का परिणाम, प्रतियोगिताओं की फोटोग्राफ, समाचार पत्रों की कटिंग एवं धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि निर्धारित प्रपत्र पर आयोजक से प्रमाणित कर प्रतियोगिता समाप्ति के 3 दिन के अन्दर सम्बन्धित विकासखण्ड के क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रारद अधिकारी/व्यायाम प्रशिक्षक को उपलब्ध कराई जायेगी। आयोजक के साथ समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक खिलाड़ियों को प्रतिभाग कराने का कार्य विभागीय व्यायाम प्रशिक्षक का होगा।

13– न्याय पंचायत स्तर पर जिन खेल विधाओं की प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं किया जाएगा उन खेल विधाओं के आयोजन एवं पुरस्कार हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि का समर्पण आयोजक द्वारा सम्बन्धित जिला युवा कल्याण अधिकारी कार्यालय को तत्काल उपलब्ध करा दिया जाएगा।

14– न्याय पंचायत स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम/खिलाड़ी (व्यक्तिगत स्पर्धा) उच्च स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे।

प्रतियोगिता हेतु तकनीकी समिति

न्याय पंचायत, विधानसभा स्तर, संसदीय स्तर एवं राज्य स्तर पर प्रतियोगिता को सम्पन्न कराने के लिए प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा खेल अध्यापक, खेल विभाग के उप क्रीड़ाधिकारी एवं खेल प्रशिक्षक, युवा कल्याण विभाग के व्यायाम प्रशिक्षक का सहयोग निर्णायक के रूप में लिया जायेगा। न्याय पंचायत, विधानसभा क्षेत्र स्तर एवं संसदीय क्षेत्र स्तर पर टीमस्पर्धा में प्रतिभाग करने वाली टीमों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का उनके उत्कृष्ठ प्रदर्शन के आधार पर समिति द्वारा उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं (विधानसभा क्षेत्र स्तर, संसदीय क्षेत्र स्तर एवं राज्य स्तर) हेतु चयन किया जाएगा, उक्त के साथ ही खेलकूद प्रतियोगिताओं के दौरान उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चिन्हीकरण तकनीकी समिति द्वारा किया जायेगा।

न्याय पंचायत स्तरीय तकनीकी समिति

क्र0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम
1	खण्ड शिक्षाधिकारी द्वारा नामित 01 खेल अध्यापक (माध्यमिक/प्राथमिक शिक्षा)
2	व्यायाम प्रशिक्षक/क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी द्वारा नामित 01 खिलाड़ी (राज्य, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी/भारतीय सेना के सेवानिवृत्त खिलाड़ी)
3	सम्बन्धित विकासखण्ड का खेल प्रशिक्षक, युवा कल्याण।

तकनीकी समिति के दायित्व

1. प्रतियोगिताओं के दौरान व्यक्तिगत खेल विधा में प्रथम, द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के साथ–साथ 02–02 खिलाड़ियों तथा टीम खेल विधा में 05–05 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चिन्हित कर सूची तैयार करने का कार्य तकनीकी समिति द्वारा किया जायेगा, जो व्यायाम प्रशिक्षक युवा कल्याण के माध्यम से जिला युवा कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
2. प्रतियोगिताओं के दौरान किसी भी वाद–विवाद का निस्तारण तकनीकी समिति द्वारा किया जायेगा।

2. विधानसभा स्तर (विधायक चैम्पियनशिप ट्रॉफी)

विधानसभा स्तर पर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता को विधायक चैम्पियनशिप ट्रॉफी नाम से आयोजित किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त विकासखण्ड कार्यालयों, ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, महिला संगठिका, पीआरडी हल्का सरदार, पीआरडी ब्लाक कमाण्डर, सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाईस्कूल, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय इण्टर कॉलेज (बालक/बालिका) में तैनात व्यायाम शिक्षक/प्रधानाचार्य के साथ–साथ निजी शिक्षण संस्थानों के व्यायाम शिक्षक/प्रधानाध्यापक, नगर पंचायत–अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, नगर पालिका–अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, विकासखण्ड–खण्ड विकास अधिकारी/क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी, तहसील–उप जिलाधिकारी, नगर निगम–मुख्य नगर अधिकारी, जनपद मुख्यालय–मुख्य विकास अधिकारी–जिला क्रीड़ाधिकारी–जिला युवा कल्याण अधिकारी स्थित कार्यालय से ऑनलाइन पंजीकरण का कार्य सम्पन्न किया जायेगा। खिलाड़ियों का पंजीकरण ऑनलाईन किया जायेगा। पंजीकरण होने के उपरान्त सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं व्यायाम प्रशिक्षकों द्वारा आयोजन सम्बन्धी समस्त व्यवस्थाऐं सुनिश्चित की जायेंगी।

विधायक चैम्पियनशिप ट्रॉफी स्तरीय आयोजन समिति

1	सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र के मा0 विधायक	संरक्षक
2	सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्र प्रमुख	सह–संक्षक
3	सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र के खण्ड विकास अधिकारी	अध्यक्ष
4	सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र के खण्ड शिक्षाधिकारी	सह–अध्यक्ष
5	सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र के उपजिलाधिकारी	सदस्य
6	सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र के नगर पालिका अधिशासी अधिकारी	सदस्य
7	सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र में आयोजन स्थल के निकटस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
8	सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र के खण्ड शिक्षाधिकारी द्वारा नामित खेल समन्वयक	सदस्य

9	सम्बन्धित जनपद के जिला क्रीड़ाधिकारी द्वारा नामित उप क्रीड़ाधिकारी अथवा खेल प्रशिक्षक	सदस्य
10	खण्ड शिक्षाधिकारी द्वारा नामित सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र के आयोजन स्थल के निकटस्थ रा.इ.का. के प्रधानाचार्य	सह–आयोजक
11	क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी एवं व्यायाम प्रशिक्षक युवा कल्याण	आयोजक

विधायक चैम्पियनशिप ट्रॉफी समिति के कार्य

1– खिलाड़ियों के पंजीकरण की व्यवस्था ऑनलाईन कराना।

2– आयोजन स्थल का निर्धारण मा0 विधायक द्वारा किया जायेगा। प्रतियोगिता राजकीय इण्टर कालेज, पूर्व माध्यमिक इण्टर कालेज, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के निर्मित बड़े खेल मैदान/मिनी स्टेडियम जहां खिलाड़ियों की सुविधा के दृष्टिगत किसी एक स्थल पर आयोजित किये जायेंगे।

3– प्रतियोगिता का आयोजन वृहद् स्तर पर 03 से 04 दिनों में किया जाएगा।

4– आयोजन हेतु शिक्षा विभाग, खेल विभाग, पुलिस, युवा कल्याण विभाग के साथ–साथ खेल संघो एवं अन्य विभागों द्वारा निर्णायकों की व्यवस्था निःशुल्क की जायेगी।

5– खेल प्रतियोगिता से सम्बन्धित उपकरण, प्राथमिक चिकित्सा, पेयजल, साफ–सफाई, सुरक्षा आदि सम्बन्धित विभागों के सहयोग से की जाएगी।

6– दिशा–निर्देश के अनुरूप प्रमाण पत्र/मेडल/पुरूस्कार की व्यवस्था एवं वितरण करवाना।

7– विधायक चैम्पियनशिप ट्रॉफी हेतु प्रचार–प्रसार/विज्ञापन/निमंत्रण पत्र आदि की व्यवस्था।

8– विधायक चैम्पियनशिप ट्रॉफी स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन हेतु राज्य सैक्टर के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी धनराशि कम होने की दशा में जिलाधिकारी बजट की व्यवस्था जिला योजना अथवा जनपद के अन्तर्गत अन्य स्त्रोतों (स्थानीय उद्योग जगत, सी.एस.आर) के अन्तर्गत सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।

9– उद्घाटन एवं समापन समारोह कार्यक्रम (पुरस्कार वितरण) मा0 विधायक जी द्वारा किया जायेगा। विधायकगणों एवं अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों/राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी /उच्च अधिकारी/उद्योगपति–व्यवसायी आदि की उपस्थिति में कार्यक्रम सम्पन्न किया जायेगा, जिसका विवरण जिला युवा कल्याण अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

10– फलैक्स, बैनर, ट्रैक एवं फील्ड आदि सज्जा, स्टेशनरी, फोटो विडीयोग्राफी, माइक व्यवस्था के साथ–साथ खिलाड़ियों के रात्रि आवासीय–भोजन व्यवस्था स्थल पर सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाएगा।

11– विधानसभा स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम/खिलाड़ी (व्यक्तिगत स्पर्धा) उच्च स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे।

12– प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को मेडल एवं प्रमाण पत्र प्रतियोगिता समापन पर मुख्य अतिथि के सम्मुख दिया जायेगा तथा पुरस्कार धनराशि

उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जिला युवा कल्याण एवं प्रारद अधिकारी द्वारा आयोजन के 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराते हुए वितरण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र निदेशालय को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

13– विधायक चैम्पियनशिप ट्रॉफी में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के मार्ग व्यय, आवास–भोजन आदि समस्त व्यवस्था जिलाधिकारियों द्वारा जिला योजना में बजट उपलब्धता अथवा अपने अन्यत्र संसाधनों से किया जायेगा।

14– विधानसभा क्षेत्र की प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु राज्य सेक्टर की धनराशि का आवंटन जिला युवा कल्याण कल्याण अधिकारी को किया जाएगा।

15– प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों की संख्या, परिणाम, फोटोग्राफ, विडियोग्राफी ,समाचार पत्रों की कटिंग, व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित विधानसभा के खण्ड विकास अधिकारी से प्रमाणित कर प्रतियोगिता समाप्ति के 3 दिन के अन्दर संसदीय क्षेत्र स्तरीय आयोजन समिति को उपलब्ध कराने का दायित्व विधानसभा क्षेत्र स्तरीय आयोजन समिति का होगा।

16– बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस विधा में एकल वर्ग की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागी को युगल वर्ग की प्रतियोगिता में प्रतिभाग नहीं कराया जायेगा एवं युगल वर्ग के प्रतिभागियों द्वारा एकल वर्ग की प्रतियोगिता में प्रतिभाग नहीं किया जा सकेगा।

17– विधायक चैम्पियनशिप ट्रॉफी स्तर पर निर्धारित जिन खेल विधाओं की प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं किया जाएगा उन खेल विधाओं के आयोजन एवं पुरस्कार हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि का समर्पण सक्षम स्तर को तत्काल कर दिया जाएगा।

18– विधायक चैम्पियनशिप ट्रॉफी हेतु आवश्यकता पड़ने पर अन्य विभागों से निर्णायकों की निःशुल्क मांग की जाएगी।

19– विधायक चैम्पियनशिप ट्रॉफी के अन्तर्गत सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली न्याय पंचायत को 01 विधायक चैम्पियनशिप ट्रॉफी प्रदान की जाएगी।

20– विधानसभा स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम/खिलाड़ी (व्यक्तिगत स्पर्धा) उच्च स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे।

विधानसभा क्षेत्र स्तरीय तकनीकी समिति

क्र0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम
1	खण्ड शिक्षाधिकारी द्वारा नामित 01 खेल समन्वयक (माध्यमिक अथवा प्राथमिक)
2	जिला क्रीड़ाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित उप क्रीड़ाधिकारी/खेल प्रशिक्षक
3	क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी–व्यायाम प्रशिक्षक द्वारा नामित कोई 01 खिलाड़ी (राज्य, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी/भारतीय सेना के सेवानिवृत्त खिलाड़ी)

तकनीकी समिति के दायित्व

1. प्रतियोगिताओं के दौरान व्यक्तिगत खेल विधा में प्रथम, द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के साथ–साथ 02–02 खिलाड़ियों तथा टीम खेल विधा में 05–05 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन तकनीकी समिति द्वारा किया जायेगा।

2. प्रतियोगिताओं के दौरान किसी भी वाद–विवाद का निस्तारण तकनीकी समिति द्वारा किया जायेगा।

3. सांसद चैम्पियनशिप ट्रॉफी

सांसद चैम्पियनशिप ट्रॉफी के अन्तर्गत राज्य के 08 संसदीय क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है, संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त जिला मुख्यालयों, जनपद के अन्तर्गत आने वाले समस्त ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, महिला संगठिका, पीआरडी हल्का सरदार, ब्लाक कमाण्डर, सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाईस्कूल, माध्यमिक विद्यालय, राजकीय इण्टर कॉलेज (बालक/बालिका) में तैनात व्यायाम शिक्षक/प्रधानाचार्य के साथ–साथ निजी शिक्षण संस्थानों के व्यायाम शिक्षक/प्रधानाध्यापक, नगर पंचायत–अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, नगर पालिका–अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, विकासखण्ड–खण्ड विकास अधिकारी/क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी, तहसील–उप जिलाधिकारी, नगर निगम–मुख्य नगर अधिकारी, जनपद मुख्यालय–मुख्य विकास अधिकारी–जिला क्रीड़ाधिकारी–जिला युवा कल्याण अधिकारी स्थित कार्यालय से ऑनलाइन पंजीकरण का कार्य सम्पन्न किया जायेगा। खिलाड़ियों का पंजीकरण ऑनलाईन किया जायेगा। पंजीकरण पूर्ण कराते हुए आयोजन समिति को प्रतियोगिता प्रारम्भ होने से पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा।

सांसद चैम्पियनशिप ट्रॉफी आयोजन समिति

1	सम्बन्धित संसदीय क्षेत्र के मा0 सांसद	संरक्षक
2	सम्बन्धित संसदीय क्षेत्र के जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष	सह संरक्षक
3	सम्बन्धित संसदीय क्षेत्र के जिलाधिकारी	अध्यक्ष
4	सम्बन्धित संसदीय क्षेत्र के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	सदस्य
5	सम्बन्धित संसदीय क्षेत्र के मुख्य विकास अधिकारी	सह अध्यक्ष
6	सम्बन्धित संसदीय क्षेत्र के नगर निगम के मेयर	सदस्य
7	मुख्य नगर अधिकारी, सम्बन्धित नगर निगम/अधिशासी अधिकारी, सम्बन्धित नगर पालिका	सदस्य
8	सम्बन्धित संसदीय क्षेत्र के निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा नामित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य	सदस्य
9	सम्बन्धित संसदीय क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
10	सम्बन्धित संसदीय क्षेत्र के मुख्य शिक्षाधिकारी	सदस्य
11	सम्बन्धित संसदीय क्षेत्र के जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
12	सम्बन्धित संसदीय क्षेत्र के जिला सूचना अधिकारी	सदस्य
13	सम्बन्धित संसदीय क्षेत्र के जिला क्रीड़ाधिकारी	सह–आयोजक
14	सम्बन्धित संसदीय क्षेत्र के जिला युवा कल्याण एवं प्रारद अधिकारी	आयोजक

सांसद चैम्पियनशिप ट्रॉफी समिति के कार्य एवं दायित्व

1– सांसद चैम्पियनशिप ट्रॉफी हेतु खिलाड़ियों के ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था कराना।

2– मा0 सांसद द्वारा प्रतियोगिता स्थल का निर्धारण किया जायेगा।

3– आयोजन हेतु शिक्षा विभाग, खेल विभाग, पुलिस विभाग, युवा कल्याण विभाग विभिन्न खेल संघो से निर्णायकों की व्यवस्था करना।

4– खिलाड़ियों के पंजीकरण की व्यवस्था करना जिससे की अधिक से अधिक खिलाड़ी प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकें।

5– खेल विधाओं के अनुसार खेल मैदान व्यवस्था, आवश्यक खेल उपकरण, प्राथमिक चिकित्सा, पेयजल, साफ–सफाई, सुरक्षा व्यवस्था आदि की व्यवस्था सम्बन्धित विभागों के सहयोग से किया जाएगा।

6– सांसद चैम्पियनशिप ट्रॉफी में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के मार्ग व्यय, आवास–भोजन आदि समस्त व्यवस्था जिलाधिकारियों द्वारा जिला योजना में बजट उपलब्धता अथवा अपने अन्यत्र संसाधनों से किया जायेगा।

7– दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रमाण–पत्र/मेडल/पुरस्कार की व्यवस्था एवं वितरण करवाना।

8– सांसद चैम्पियनशिप ट्रॉफी हेतु प्रचार–प्रसार/विज्ञापन/निमन्त्रण पत्र आदि की व्यवस्था।

9– सांसद चैम्पियनशिप ट्रॉफी स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु राज्य सैक्टर के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी धनराशि कम होने की दशा में सम्बन्धितों जनपदों के जिलाधिकारी बजट की व्यवस्था जिला योजना अथवा जनपद के अन्तर्गत अन्य स्त्रोतों (स्थानीय उद्योग जगत, सी.एस.आर.) के अन्तर्गत सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।

10– उद्घाटन एवं समापन समारोह, पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का निर्धारण मा0 सांसद द्वारा किया जायेगा। सम्बन्धित संसदीय क्षेत्र के साथ–साथ अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों/राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी/उच्च अधिकारी/ उद्य ोगपति–व्यवसायी आदि की उपस्थिति में कार्यक्रम सम्पन्न किया जायेगा, जिसका विवरण जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

11– संसदीय क्षेत्र की प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु राज्य सेक्टर की धनराशि का आवंटन आयोजन स्थल से सम्बन्धित जिला युवा कल्याण कल्याण अधिकारी को किया जाएगा।

12– फ्लैक्स, बैनर, ट्रैक एण्ड फील्ड निर्माण, माईक, टैण्ट व्यवस्था, फोटोग्राफी/विडियोग्राफी, स्टेशनरी आदि की व्यवस्था।

13– प्रत्येक खेल विधा में परिणाम –प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं टीम खेल में विनर, रनर एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों से सम्बन्धित सूचना प्रतियोगिता सम्पन्न होने के उपरान्त 03 दिन के अन्दर निदेशाालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।

14– प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को मेडल एवं 4 प्रमाण पत्र प्रतियोगिता समापन पर मुख्य अतिथि के सम्मुख दिया जायेगा तथा पुरस्कार धनराशि उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जिला युवा कल्याण एवं प्रारद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

private:stream

15— प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों की संख्या, आयोजित प्रतियोगिताओं का परिणाम, चिन्हित किये गये प्रतिभावान खिलाड़ियों का खेल विधावार विवरण, प्रतियोगिताओं की फोटोग्राफ, विडियोग्राफी, समाचार पत्रों की कटिंग, व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र/रजिस्टर पर प्रतियोगिता समाप्ति के 03 दिन के अन्दर राज्य स्तर पर उपलब्ध करायेगी।

16— सांसद खेल प्रतियोगिता के अन्तर्गत सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली विधानसभा को 01 सांसद चैम्पियनशिप ट्रॉफी प्रदान की जाएगी।

17— संसदीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम/खिलाड़ी (व्यक्तिगत स्पर्धा) उच्च स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे।

संसदीय क्षेत्र स्तरीय तकनीकी समिति

क्र0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम
1	मुख्य शिक्षाधिकारी द्वारा नामित जिला खेल समन्वयक माध्यमिक शिक्षा/प्राथमिक शिक्षा
2	जिला क्रीड़ाधिकारी अथवा उनके द्वारा उप क्रीड़ाधिकारी या खेल प्रशिक्षक
3	जिला युवा कल्याण अधिकारी द्वारा नामित खेल प्रशिक्षक

तकनीकी समिति के दायित्व

1. प्रतियोगिताओं के दौरान व्यक्तिगत खेल विधा में प्रथम, द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के साथ–साथ 02–02 खिलाड़ियों तथा टीम खेल विधा में 05–05 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन तकनीकी समिति द्वारा किया जायेगा।
2. प्रतियोगिताओं के दौरान किसी भी वाद–विवाद का निस्तारण तकनीकी समिति द्वारा किया जायेगा।

4. राज्य स्तर (मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी)

मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी पर समस्त संसदीय क्षेत्रों से चयनित खिलाड़ियों द्वारा सम्बन्धित खेल विधाओं में प्रतिभाग किया जाएगा तथा विभिन्न खेल विधाओं की प्रतियोगिताओं का आयोजन सीधे राज्य स्तर पर किया जाएगा। राज्य स्तर पर सीधे आयोजित होने वाली प्रतियेागिताओं हेतु ऑनलाइन पंजीकरण आयोजन तिथि से 02 सप्ताह पूर्ण अनिवार्य रूप से कर दिया जाएगा। राज्य स्तर पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले संसदीय क्षेत्र को मा0 मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी आयोजन समिति

1	मा0 मुख्यमंत्री	संरक्षक
2	मा0 मंत्री युवा कल्याण	सह–संरक्षक
3	सचिव, युवा कल्याण, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
4	सचिव, खेल, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5	महानिदेशक शिक्षा	सदस्य
6	महानिदेशक स्वास्थ्य	सदस्य
7	पुलिस महानिदेशक	सदस्य
8	आयुक्त परिवहन	सदस्य
9	निदेशक, उच्च शिक्षा।	सदस्य
10	निदेशक, पंचायती राज।	सदस्य

11	निदेशक, शहरी विकास	सदस्य
12	महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग	सदस्य
13	निदेशक, खेल विभाग	सह–आयोजक
14	निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग	आयोजक

मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी आयोजन समिति के कार्य एवं दायित्व

1– मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी हेतु खिलाड़ियों के ऑनलाईन पंजीकरण की व्यवस्था कराना।

2– आयोजन स्थल का चयन व निर्धारण।

3– राज्य स्तर पर व्यक्तिगत/टीम स्पर्धा हेतु खिलाड़ियों का निर्धारण।

4– आयोजन हेतु शिक्षा, खेल, युवा कल्याण विभाग द्वारा खेल विभाग द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर निर्णायकों की व्यवस्था की जायेगी।

5– प्रतियोगिता से पूर्व प्रतिभाग हेतु पंजीकरण रजिस्टर तैयार करना।

6– खेल प्रतियोगिता से सम्बन्धित खेल उपकरण, प्राथमिक चिकित्सा, पेयजल, साफ–सफाई, परिवहन, सुरक्षा हेतु सम्बन्धित विभागों से सहयोग प्राप्त किया जाएगा।

7– प्रतिभागियों को प्रतिभाग हेतु आने जाने के दौरान भोजन भत्ता दिये जाने की व्यवस्था।

8– प्रतिभागियों को आने–जाने का मार्ग व्यय दिये जाने की व्यवस्था।

9– प्रमाण–पत्र/खेल किट–ट्रैक सूट, स्पोर्टस शूज व मौजा/मेडल/पुरस्कार की व्यवस्था एवं वितरण करवाना।

10– मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी के प्रचार–प्रसार/विज्ञापन/निमन्त्रण पत्र आदि की व्यवस्था।

11– उद्घाटन एवं समापन समारोह कार्यक्रम का आयोजन।

12– फ्लैक्स, बैनर, ट्रैक एवं फिल्ड निर्माण, माईक, फोटोग्राफी/विडियोग्राफी, स्टेशनरी आदि की व्यवस्था।

13– प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को मेडल एवं प्रमाण पत्र प्रतियोगिता समापन पर मुख्य अतिथि के सम्मुख दिया जायेगा तथा पुरस्कार धनराशि उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से सम्बन्धित जिला युवा कल्याण एवं प्रारद अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

14– न्याय पंचायत, विधानसभा, संसदीय क्षेत्र एवं मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी राज्य स्तर पर आवंटित बजट में धनराशि कम और बचत होने की स्थिति में निदेशक युवा कल्याण अपने स्तर से धनराशि उपयोग–व्यय करने हेतु स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं।

15– न्याय पंचायत, विधानसभा, संसदीय क्षेत्र एवं मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी के अन्तर्गत आयोजित प्रतियोगिताओं में यदि कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का रिकॉर्ड तोड़ता है तो उसे रु0 1.00 लाख की पुरस्कार धनराशि प्रदान की जाएगी।

16– राज्य स्तर पर प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को खेल किट, ट्रैक सूट, स्पोर्टस शूज एवं मौजा प्रदान किया जाएगा जिस हेतु राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन मद में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

17– राज्य स्तर पर प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के मार्ग व्यय एवं यात्रा भत्ता का भुगतान खेल महाकुम्भ हेतु आवंटित बजट से किया जायेगा। खिलाड़ियों का मार्ग व्यय परिवहन विभाग द्वारा पर्वतीय एवं मैदानी मार्गों हेतु निर्धारित प्रति किलोमीटर की दर से विभाग द्वारा किया जायेगा।

18– राज्य स्तर पर प्रत्येक आयु वर्ग में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले संसदीय क्षेत्र को मा0 मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी उपलब्ध कराई जाएगी।

राज्य स्तरीय तकनीकी समिति

क0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम
1	निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा नामित राज्य खेल समन्वयक अथवा उसी स्तर का व्यायाम शिक्षक।
2	निदेशक खेल द्वारा नामित खेल प्रशिक्षक।
3	निदेशक युवा कल्याण द्वारा नामित विभागीय व्यायाम प्रशिक्षक।

तकनीकी समिति के दायित्व

1. प्रतियोगिताओं के दौरान व्यक्तिगत खेल विधा में प्रथम, द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के साथ–साथ 02–02 खिलाड़ियों तथा टीम खेल विधा में 05–05 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन तकनीकी समिति द्वारा किया जायेगा।
2. प्रतियोगिताओं के दौरान किसी भी वाद–विवाद का निस्तारण तकनीकी समिति द्वारा किया जायेगा।

पुरस्कार का विवरण

पुरस्कार धनराशि न्याय पंचायत, विधानसभा क्षेत्र स्तर, संसदीय क्षेत्र स्तर एवं राज्य स्तर पर निम्न विवरणानुसार विजेता खिलाड़ियों एवं टीमों को दिया जाना प्रस्तावित है :–

क0 स0	प्रतियोगिता का स्तर	प्रथम स्थान (रु0 में)	द्वितीय स्थान (रु0 में)	तृतीय स्थान (रु0 में)	अतिरिक्त
1	न्याय पंचायत	300	200	150	विजेता प्रमाण–पत्र व मेडल (प्रथम, द्वितीय, तृतीय)
2	विधानसभा क्षेत्र	500	400	300	मेडल, विजेता प्रमाण–पत्र एवं विधायक चैम्पियनशिप ट्रॉफी
3	संसदीय क्षेत्र	800	600	400	मेडल, विजेता प्रमाण–पत्र एवं सांसद चैम्पियनशिप ट्रॉफी
4	राज्य स्तर	1500	1000	700	मेडल, प्रतिभागिता प्रमाण–पत्र, विजेता प्रमाण–पत्र एवं मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी

खेल महाकुम्भ–2025 प्रस्तावित आयोजन स्थल का विवरण
संसदीय क्षेत्र – अल्मोड़ा

संसदीय क्षेत्र का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विधानसभा क्षेत्र की न्याय पंचायत का नाम
अल्मोड़ा	सोमेश्वर	1. बैगनिया, 2. ढौनीगाड़, 3. ताकुला, 4. चनौदा, 5. सोमेश्वर, 6. बसौली, 7. भैसड़गॉव
	अल्मोड़ा	1. धामस, 2. हवालबाग, 3. कयाला, 4.ग्वालाकोट, 5. रमड़ा, 6. सल्लारौतेला, 7. फलसीमा, 8. गुरना, 9. पातलीबगड़, 10. खत्याड़ी, 11. पल्यूं, 12. सल्लाभाटकोट, 13. लिगुणता, 14. पाण्डेतोली 1. नगर निगम अल्मोड़ा।
	जागेश्वर	1. कलौटा, 2. अण्डोली, 3. पनुवानौला, 4. पोखरी, 5. भनोली, 6. दन्या, 7. बमनस्वाल, 8. ध्याड़ी, 9. उन्मूड़ा, 10. चौखुरी, 11. सिरसौड़ा, 12. पुभाऊ, 13. ढौरा, 14. चायखान,

		15. बकस्वाड़, 16. शहरफाटक, 17. जलना, 18. बडियार रैत
	रानीखेत	1. अल्मियॉकाण्डे, 2. चौकुनी, 3. बंगोड़ा, 4. बमस्यूँ, 5. मल्लाविश्वा, 6. बिल्लेख, 7. पंतकोटुली, 8. पथुली, 9. पीपली, 10. सगनेटी, 11. जैनोली, 12. सिनौड़ा, 13. भिकियासैण, 14. पाली, 15. जालली, 16. बम्योली, 17. नौला, 18. बासोट, 19. बौली, 20. कोटचौनलिया, 21. तकुल्टी 1. छावनी परिषद रानीखेत 2. नगर पंचायत भिकियासैंण
	द्वाराहाट	1. असगोली, 2. कफड़ा, 3. पैठानी, 4. ईड़ा, 5. कामा, 6. कुँवाली, 7. रियूनी, 8. विजयपुर, 9. छानागोलू, 10. दुधोली, 11. छतेणा, 12. गनाई, 13. आदिग्राम फुलोरिया, 14. मासी, 15. भगोती, 16. नौगांव अखोड़िया, 17. वेतनधार, 18. चॉदीखेत 1–नगर पंचायत द्वाराहाट, 2–नगर पालिका चौखुटिया
	सल्ट	1. चमकना, 2. क्वैराला, 3. कुणीधार, 4. कुन्हील, 5. मछोड, 6. भौनखाल, 7. डुंगरा, 8. देवायल, 9. बांगीधार, 10. चॉच, 11. पैठाना, 12. गोलना, 13. डुंगरी, 14. भरसोली,15. गुदलेख, 16. कल्याणपुर, 17. महंग्यारी
	बागेश्वर	1. अमसरकोट, 2. पन्तगाँव, 3. सैज, 4. बोहाला, 5.देवलधार, 6. काण्डे, 7.फल्याटी, 8. गुरना, 9. पिंगलों, 10.भिलकोट, 11. तिलसारी, 12. बैजनाथ, 13 गढसेर, 14 भगरतोला, 15. लौबांज, 16. रवांईखाल
	कपकोट	1. बनलेख, 2. काण्डा, 3. खातीगॉव, 4. रावतसेरा, 5. सानिउडियार, 6. चौरा, 7. आरे, 8.सिमगढी, 9. होराली, 10. दियाली, 11. माजखेत, 12. असों, 13. शामा, 14. उत्तरौडा, 15. सूपी, 16. बदियाकोट, 17.कर्मी, 18. भराडी, 19. लोहारखेत 1. नगर पंचायत कपकोट 2. नगर पंचायत गरूड 3. नगर पालिका बागेश्वर
	भीमताल	1. चौखुटा, 2. सरना, 3. मज्यूली, 4. ओखलकांडा, 5. तुषराड़ 6. नाई, 7. सुनकोट, 8'. कालाआगर, 9. डालकन्या, 10. सुयालबाड़ी, 11. प्यूड़ा, 12. रामगढ़, 13. नथुवाखान, 14. सांगुड़ीगांव, 15. पिनरौ 16. ओखलढुंगा, 17. थपलिया मेहरागांव, 1. नगर पालिका भीमताल 1. सिरमोली, 2. पाथरी (भीमताल व नैनीताल)

संसदीय क्षेत्र नैनीताल–ऊधमसिंहनगर

संसदीय क्षेत्र का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विधानसभा क्षेत्र की न्याय पंचायत का नाम
नैनीताल. ऊधमसिंहनगर	**कालाढूंगी**	1. स्यात, 2. डोला, 3. अमगढ़ी, 4. गिन्तीगांव, 5. तकालाढुंगी, 6. बन्दोबस्ती, 7. बैलपड़ाव, 8. रानीबाग, 9. गुनीपुर जीवानन्द 10. देवलचौड (कालाढूंगी व लालकुआ) 1. नगर पंचायत कालाढूंगी
	नैनीताल	1. खुर्पाताल, 2. सिमलखां, 3. दाड़िमा, 4. गरमपानी, 5. बेतालघाट, 6. घंघरेटी, 7. रातीघ ाट, 8. नैनीताल, 9. सिरमोली 10. पाथरी (भीमताल व नैनीताल) 11. ज्योलीकोट (कालाढूंगी व नैनीताल) 1. नगर पंचायत भवाली
	लालकुंआ	1. कुंवरपुर, 2. हरीपुर बच्ची, 3. लाखनमण्डी, 4. लालकुंआ 5. देवलचौड (कालाढूंगी व लालकुआ)
	हल्द्वानी	1. नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम
	जसपुर	1. अहमदनगर नगर, 2. पूरनपुर, 3. मेघावाला, 4. भरतपुर, नगर पंचायत. 1. महुआडाबरा नगर पालिका.1. जसपुर
	काशीपुर	1. कुण्डेश्वरी 2. शिवलालपुर अमरझण्डा 3. खड़कपुर देवीपुरा नगर पंचायत 1. महुआखेड़ा गंज नगर निगम 1. काशीपुर
	बाजपुर	1. सरकड़ी 2. चकरपुर 3. सरकड़ा पट्टी 4. वरहैनी

private:stream

		नगर पंचायत 1. केलाखेड़ा, 2. सुल्तानपर पट्टी, 3. बाजपुर
	गदरपुर	1. गोविन्दपुर 2. आनन्दखेड़ा, 3. बराखेड़ा नगर पंचायत . 1. गदरपुर, 2. गूलरभोज, 3. दिनेशपुर
	रुद्रपुर	1. बण्डिया 2. दरऊ 3. बरा 4. बिगवाड़ा 5. नारायणपुर नगर पालिका 1. रूद्रपुर नगर पंचायत 1. नगला
	किच्छा	–
	सितारगंज	1. नानकमत्ता 2. सिसौना 3. कल्याणनगर 4. बिरिया नगर पंचायत 1. शक्तिगढ़ नगर पालिका 1. सितारगज
	नानकमत्ता	1. नगर पंचायत नानकमत्ता
	खटीमा	1. बिगराबाग 2. खेतलसण्डा खाम 3. बण्डिया 4. झनकट नगर पालिका–1. खटीमा

संसदीय क्षेत्र गढ़वाल

संसदीय क्षेत्र का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विधानसभा क्षेत्र की न्याय पंचायत का नाम
गढ़वाल	पौड़ी	1. त्याली, 2. बाडा, 3. कण्डारा, 4. निमली त०, 5. चरधार, 6. विचली ढांढरी, 7. कोट, 8. पोखरी, 9. तैडी, 10. दैल, 11. बालमणा, 12. कुंडी, 13. जामरी, 14. दिवई, 15. सांगुडा, 16. नगर, 17. लहेडा, 18. घण्डियाल, 19. बिलखेत, 20. पंचाली, 21. अगरोडा, 22. पीपलपानी, 23. चण्डियाल, 24. पोखरीखेत 1. नगर पालिका परिषद, पौडी 2. नगर पंचायत देवप्रयाग
	श्रीनगर	1. देवलगढ 2. पोखरी (च०) 3. चमराडा, 4. पाबो, 5. सैजी, 6. चिपलघाट, 7. मरोडा, 8. चौंरा, 9. कैन्यूर, 10. पित्रसैण, 11. पैठाणी, 12. बगेली, 13. बूंगीधार, 14. स्योली त०, 15. मेलधार 1. नगर निगम श्रीनगर 2. नगर पंचायत थलीसैण
	चौबट्टाखाल	1. कोटा, 2. पंचूर, 3. धरासू, 4. रिगंवाडी, 5. स्योली, 6. बमोली, 7. पाताल, 8. मौन्दाडी, 9. गोर्ली, 10. काण्डई 11. गडरीकोला, 12. देवराडी, 13. सेडियाखाल, 14. गवाणी, 15. मंझगांव चौ०, 16. गडोली, 17. जिवई, 18. फरसाडी, 19. स्यूंसी, 20. डुमैला म०, 21. भरोलीखाल, 22 कोटा महादेव, 23. ग्वीन म०, 24. ढौर, 25. खैरासैण, 26. दुधारखाल, 27. घेरूवा, 28. कुणजोली. 29. पीपली, 30. पुल्सासू, 31. राजखिल (वि०ख०.द्वारीखाल) 1. नगर पालिका परिषद सतपुली।
	लैन्सडाउन	1. जयहरी, 2. सैंधीखाल, 3. मेरूडा, 4. असनखेत, 5. धोलखेतखाल 6. उतिण्डा, 7. उमटा, 8. भौन, 9. कसाणा, 10. ढुंगरी, 11. चोरगढ, 12. किनाथ, 13. कमेडा, 14. परसोली, 15. विरखेत (वि०ख० नैनीडांडा) 16. गुनेडी, 17. चुरानी, 18. धामधार, 19. ढाबखाल, 20. ढौटियाल, 21. किल्वोखाल, 22. दुनाव
	यमकेश्वर	1. गैण्ड, 2. मागथा, 3. बनचूरी, 4. नीलकंठ, 5. नौगाव म०, 6. गंगाभोगपुर, 7. बडयूण, 8. बडोली बडी, 9. उर्तिच्छा, 10. फरसूला, 11. उमथगांव, 12. हरस्यू, 13. पठूड अकरा, 14. सिमल्ना, 15. दूणीमाण्डई 16. डाबर, 17. खरीक, 18.काण्डाखाल., 19. ठंठोली, 20. सिराई, 21. किनसुर, 22. जमेली, 23. सुराडी, 1. नगर पंचायत जौंक, 2. नगर पालिका दुगडडा
	कोटद्वार	1. नगर निगम कोटद्वार
	नरेन्द्रनगर	1. बनाली, 2. तिमली, 3. बैराईगांव, 4. रणाकोट, 5. बुगाला, 6. मणगांव, 7. भैंतण, 8. आमपाटा 1. नगरपालिका नरेन्द्रनगर, 1. नगर पंचायत गजा, नगर पालिका 1. मुनिकीरेती, 2. डोबरी, 3. भटकोटी
	रामनगर	1. चिल्किया 2. जोगीपुरा, 3. सावल्दे, 4. छोई

संसदीय क्षेत्र – टिहरी

संसदीय क्षेत्र का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विधानसभा क्षेत्र की न्याय पंचायत का नाम
टिहरी	टिहरी	1. विरोगी, 2. नकोट, 3. देवरी, 4. जगधार, 5. पलास, 6. नन्दगांव, 7. दिखोलगांव, 8. डडूर, 9. पांगरखाल, 10. गराकोट, 11. दपोली, 12. कुम्हारधार, 13. जलवालगांव, 14. सिलोली, 15. ढुंग बडवाली 16. नगरपालिका परिषद टिहरी, 17. नगरपालिका चम्बा ।
	घनसाली	1. खिरवेल, 2. थाती, 3. देवट, 4. देवंज, 5. पटागली, 6. खसेती, 7. दल्ला, 8. जाख (ठेला), 9. कठूड, 10. भट्टगांव, 11. कोठियाड़ा, 1. नगर पंचायत घनसाली, 2. नगर पंचायत चमियाला।
	प्रतापनगर	1. सिलवालगांव, 2. मोटणा, 3. भेनगी, गरवाणगांव, 5. ओनालगांव, 6. तिनवालगांव, 7. रौणिया, 8. पुनियाला, नगर पंचायत– 1. लम्बगांव, 2. रामगांव, 3. बरवालगांव
	धनोल्टी	1. क्यारी, 2. सारोट, 3. इडियान, 4. बरवालगांव 5. मंजगांव, 6. भरवाकाटल, 7. स्यालसी, 8. मखडेत, 9. खेडा, 10. द्वारगढ़, 11. मोगी, 12. श्रीकोट, 13. म्याणी, 14. सिया कैम्पटी
	पुरोला	1. तियां, 2. गढ़, 3. गातू, 4. ढुईक, 5. नानई, 6. आराकोट, 7. जखोल, 8. दौणी, 9. चंदेली, 10. खड़क्यासेम, 11. गुंदियाटगांव, 1. नगर पालिका पुरोला
	यमनोत्री	1. तुनाल्का, 2. गडोली, 3. बाडिया, 4. नन्दगांव, 5. गंगटाडी, 6. नौगांव, 7. बडेथी, 8. जिब्या, 9. तुल्याडा, 10. धारकोट, 12. चमियारी, 13. खालसी, 14. गेवला (भ0), 15. पिपली, 16. नाकुरी, 17. बडेथी, 18. रायमेर, 19. भेटियारा 1.नगर पालिका चिन्यालीसौड 1.नगर पंचायत नौगांव, 2.नगर पालिका बड़कोट
	गंगोत्री	1. सौरा, 2. बद्राणी, 3. मस्टिकसौड, 4. जोशियाडा, 5. साल्ड, 6. हर्षिल, 7. गंगोरी, 1.नगर पंचायत गंगोत्री 2.नगर पालिका बाड़ाहाट उत्तरकाशी

lalnh; {ks=& gfj}kj

संसदीय क्षेत्र का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विधानसभा क्षेत्र की न्याय पंचायत का नाम
हरिद्वार	हरिद्वार	नगर निगम हरिद्वार
	रानीपुर	1. औरंगाबाद, 2. सलेमपुर 3. महदूद, 4. बहादराबाद 1. नगर पालिका शिवालिकनगर
	ज्वालापुर	1. कोटामुरादनगर, 2. राणसूरा 3. नौकराग्रन्ट
	भगवानपुर	1. नन्हेड़ा आन्नदपुर, 2. हबीबपुर निवादा, 3. सिकन्दरपुर भैंसवाल, 4. चौली शाहबुद्दीनपुर, 5. खेड़ी शिकोहपुर, 5. भगवानपुर, 6. डाडा जलालपुर, 7. भलस्वागाज, 8. चुडियाला मोहनपुर 1. नगर पंचायत भगवानपुर
	झबरेड़ा	1. खाताखेड़ी, 2. तांशीपुर, 3. पनियाला चंदनपुर, 4. लाठरदेवा हूण, 1. नगर पंचायत झबरेड़ा
	कलियर	1. दौलतपुर, 2. ईमलीखेड़ा, 3. बेलड़ा, 4. भौरी, नगर पंचायत 1. कलियर, 2. रामपुर, 3. ईमलीखेड़ा, 4. पाडली खुजर्र
	रूड़की	1. नगर निगम रूड़की
	खानपुर	1. बहादरपुर खादर, 2. खानपुर, 3. गोवरर्धनपुर, 4. पौडोवाली, 5. खंजरपुर, 6. ढण्डेरा नगर पंचायत– 1. लण्ढ़ौरा, 2. ढण्डैरा।
	मंगलौर	1. गाधारौणा, 2. मुण्डलाना, 3. लिब्बरहेड़ी, 4. मौहम्मदपुर जट्ट, 5. नारसन कलां, 6. मखदूमपुर नगर पालिका –मंगलौर
	लक्सर	1. सुलतानपुर, 2. भिक्कमपुर जीतपुर, 3. निरंजनपुर, 4. रायसी, 5. अकौढ़ा कलां, 6. मौहम्मदपुर बुजुर्ग, 8. मुण्डाखेड़ा कला नगर पंचायत – 1. सुलतानपुर 2. आदमपुर। नगर पालिका – 1. लक्सर
	ग्रामीण हरिद्वार	1. बहादरशाहापुर, 2. फेरूपुर रामखेड़ा, 3. जमालपुर कलां, 4. लालढ़ाग,

संसदीय क्षेत्र– अल्मोड़ा पिथौरागढ़ (राज्यसभा सांसद)

संसदीय क्षेत्र का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विधानसभा क्षेत्र की न्याय पंचायत का नाम
	चम्पावत	न्याय पंचायत .1. मोहनपुर, 2. जौल, 3. धौन, 4. सिप्टी, 5. खर्ककार्की, 6. सिमल्टा, 7. दुबडजोनल, 8. सिमियाउरी नगर पालिका 1. चम्पावत, 2. टनकपुर नगर पंचायत 1. बनबसा
	लोहाघाट	1. कोलीढेक, 2. भुमलाई, 3. किमतोली, 4. डुमडाई, 5. बसकुनी, 6. ढोरजा, 7. रौशाल, 8. बाराकोट, 9. बापरू, 10. रैघाव, 11. वल्सों, 12. रौलमेल, 13. कमलेख, 14. चौडामेहता, 15. चौडाकोट, 16. देवीघूरा 1. नगर पालिका लोहाघाट
	पिथौरागढ़	1. दौला 2. .गणकोट 3. नैनी 4. जाख 5. मझेडा 6. गुरना 7. सटगल 8. भुरमुनी 9. बास्ते 10. भाटीगांव 11. बडाबे 12. मनकटिया 13. मर्सोली। 1. नगर निगम पिथौरागढ़।
	गंगोलीहाट	1. राईगढस्यारी 2. .भुवनेश्वर 3. क्वैराली 4. दन्तोला 5. पुरानाथल 6. लोहाथल 7. भट्टीगांव 8. काण्डे 9. बेरीनाग, 10. घागल 11. हाट 12.. चहज 13. पोखरी भैंरग 14. जाखनी उप्रेती 15. रिठायत 16. नायल 17. देवराडी पन्त 18. सिमलता 19 नैनोलीकेडा। 1. नगर पालिका बेरीनाग, 2. नगर पालिका गंगोलीहाट
	धारचूला	1. सिरतोला 2. मदकोट 3. सेविला 4. लीलम 5. दरकोट 6.मडलकिया 7.क्वीटी 8.नाचनी 9. बांसबगड 10. धारचूला देहात 11. खेत 12. सोसा 13. दुग्तू 14. बरम 15.गुंजी। 1. नगर पालिका धारचूला, 2. नगर पंचायत मुनस्यारी
	डीडीहाट	1. धनियाखान 2. दुर्लेख 3. दूनाकोट 4. अठखेत 5. मस्मोली 6. लखतीगांव 7. पाली 8. पुखरौडा 9. चमू 10. मोडी 11.देवल 12. पीपली 13. मूनाकोट 14. गौडीहाट 15. गाड़गांव 16. कुलतानाघर 17. बीसाबजेड। 1. नगर पालिका डीडीहाट

संसदीय क्षेत्र– गढ़वाल (राज्यसभा सांसद)

संसदीय क्षेत्र का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विधानसभा क्षेत्र की न्याय पंचायत का नाम
गढ़वाल	केदारनाथ	मनसूना, 2. गुप्तकाशी, 3. परकण्डी, 4. फाटा, 5. ल्वारा, 6. चन्द्रापुरी, 7. भीरी, 8. उच्छाढुंगी, 9. चोपता, 10. मयकोटी, 11. सतेराखाल
	रुद्रप्रयाग	1. पीपली, 2. पौडीखाल, 3. मरोडा, 4. सारी, 5. सुमेरपुर, 6. चोपडा, 7. पांजणा, 8. बजीरा, 9. कण्डाली, 10. बष्टा, 11. स्यूंर बांगर, 12.जवाडी, 13. सौंराखाल, 14. डांगी भरदार, 15. कोट बांगर
	बद्रीनाथ	1. मलारी, 2. तपोवान, 3. पाण्डुकेशर, 4. हेलंग, 5. द्वीग तपोण, 6. गडोरा, 7. बैरागना, 8. छिनका, 9. पोखरी, 10. थालाबैण्ड, 11. किमोठा, 12. गिरसा, 13. बमोथ 1. नगर पंचायत बद्रीनाथ 2. नगर पालिका ज्योतिर्मठ 3. नगर पंचायत पीपलकोटी, 4. नगर पंचायत नन्दप्रयाग, 5. नगर पलिका गोपेश्वर 6. नगर पंचायत पोखरी
	थराली	1. नारायणबगड, 2. भगोती, 3. जाखपाट्यों, 4. हरमनी, 5. मैठाणा, 6. थराली, 7. लोल्टी, 8. देवाल, 10. मुन्दोली, 11. लिगणी, 12. फॅरखेत, 13. बूरा, 14. उस्तोली, 15. सूमा, 1. नगर पंचायत थराली 2. नगर पंचायत नन्दानगर
	कर्णप्रयाग	1. झिरकोटी, 2. नौटी, 3. नौली, 4. कण्डारा, 5. सोनला, 6. मज्याणी, 7. कुशरानी, 8. मैहलचौरी, 9. रोहिडा, 10. गैरसैण, 11. आदीब्रदी, 12. देवलकोट, 1. नगर पंचायत गैरसैण 2. नगर पालिका कर्णप्रयाग 3. नगर पालिका गौचर
	देवप्रयाग	1. आमणी, 2. पलेठी, 3. रूमधार, 4. पुजारगांव, 5. त्यूणा, 6. धरूण, 7. जगधार 8. सेमी सेमला, 9. नौर चौरास, 10. चाचकण्डा, 11. बडियार, 12. क्वीली, 13. जखेड़, 14. खोला 15. कडाकोट, 16. थार्ती डागर, 17. मलेथा 1. नगर पंचायत कीर्तिनगर

private:stream

		2. नगर पंचायत देवप्रयाग ।

संसदीय क्षेत्र– टिहरी (राज्यसभा सांसद)

संसदीय क्षेत्र का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विधानसभा क्षेत्र की न्याय पंचायत का नाम
टिहरी	**चकराता**	1. भुनाड़, 2. बृनाड़, 4. भद्रोली, 5. बेगी, 6. जाड़ी, 7. दसऊ, 8. मिण्डाल, 9. रंगेऊ, 10. बांदूर, 11. कालसी, 12. कोटी, 13. भंजरा, 14. नराया, 15. कोरूबा, 16. मुन्धान, 17. उदपाल्टा, 18. खाडी, 19. डांगुरा
	विकासनगर	1. एनफील्ड, 2. सोरना डोभरी, 3. लांघा, 4.सभावाला, 5. धर्मावाला, 6. सहसपुर। 1. नगर पालिका परिषद. विकासनगर 2. नगर पालिका हरबर्टपुर।
	सहसपुर	1. सहसपुर, 2. झाझरा, 3. रामपुर भाउवाला, 4. आमवाला, 5. आरकेडियाग्रांट, 6. सोरना, 7. सभावाला, 8. धर्मावाला 1. नगर निगम देहरादून, 2. नगर पंचायत सेलाकुई।
	मसूरी	1. सरोना, 2. भगवंतपुर 1. नगर निगम देहरादून, 2. नगर पालिका मसूरी।
	कैंट	नगर निगम देहरादून।
	राजपुर	नगर निगम देहरादून।
	रायपुर	1. रायपुर 1. नगर निगम देहरादून।
हरिद्वार	**डोईवाला**	**1.** मारखमग्रांट, 2. रानीपोखरी, 3. भानियावाला, 4. थानों, 5. नगर निगम देहरादून। 6. नगर पालिका डोईवाला
	ऋषिकेश	**1.**श्यामपुर नगर निगम, ऋषिकेश
	धर्मपुर	नगर निगम देहरादून।

<u>खेल विधायें</u> :– आगामी वर्षों में आयोजित होने वाले खेल महाकुम्भ में खेल विधाओं का निर्धारण बजट की उपलब्धता के अनुसार वार्षिक कार्ययोजना में किया जाएगा। खेल महाकुम्भ–2025 में खेल विधाओं का निर्धारण आपके उपरोक्त पत्रों दिनांक 08.10.2025 एवं 26.11.2025 में प्रस्तावित खेल विधाओं के अनुसार किया जाएगा।

अतिरिक्त बिन्दु :–

(1) खेल महाकुम्भ योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि का पार्किंग ऑफ फण्ड नही किया जाएगा एवं जारी धनराशि को प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में ही उपयोग कर लिया जायेगा।

(2) विभागान्तर्गत खेल महाकुम्भ, 2025 के अंतर्गत सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। जो उक्त प्रतियोगिता/खेल सम्बन्धी व्यय हेतु धनराशि का अनुमोदन प्रदान करेगी।

(3) खेल महाकुम्भ के अंतर्गत होने वाली समस्त प्रतियोगिताओं की वीडियों रिर्कोडिंग की जाए ताकि प्रतियोगिता में विजेता सम्बन्धी विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।

(4) खेल महाकुम्भ के अंतर्गत राज्य स्तर पर प्रतियोगिता में विजेता खिलाडियों हेतु युवा कल्याण विभाग खेल विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर उक्त विजेताओं हेतु प्रशिक्षण सम्बन्धी नीति पर विचार करेगा ताकि उक्त खिलाडियों को अन्य राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु उचित प्रशिक्षण प्राप्त हो सके।

निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल उपरोक्तानुसार खेल महाकुम्भ का आयोजन सुनिश्चित करायेंगे।

Digitally signed by
Amit Kumar Sinha
Date: 06-12-2025
12:18:05

भवदीय

(अमित कुमार सिन्हा)
विशेष प्रमुख सचिव

<u>संख्या– /VI-4/2025–61(03)25–E–12059 तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।

3. प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास/शहरी विकास/उच्च शिक्षा/स्वास्थ्य/तकनीकी शिक्षा/खेल/माध्यमिक शिक्षा/सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7. निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, शिक्षा/स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, खेल/पंचायती राज/शहरी विकास, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, एन0आई0सी0।
13. विशेष कार्याधिकारी, महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड।
14. समस्त जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे सम्बन्धित मा0 सांसदगणों एवं मा0 विधायकगणों तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क कर उन्हें संज्ञानित कराये जाने सम्बन्धित कार्यवाही यथाशीघ्र सुनिश्चित करेंगे।
15. गार्ड फाईल।

Digitally signed by
GARIMA RAUNKALI
Date: 08-12-2025
10:35:43

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
अपर सचिव